

न्यायमूर्ति आई. एस. तिवाना के समक्ष

आयकर अधिकारी, ए वार्ड, हिसार और अन्य, — याचिकाकर्ता

बनाम

शांति प्रसाद जैन और अन्य — उत्तरदाता

सिविल पुनरीक्षण सं. 2079 सन् 1986

सितंबर 26, 1986

आयकर (1961 का XLIII) - धारा 293 - निर्धारिती ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत अर्जित भूमि के संबंध में पूंजीगत लाभ पर कर लगाने की मांग की - उच्च न्यायालय में वृद्धि के लिए निर्धारिती की अपील लंबित - इस बीच, निर्धारिती ने सिविल में अधिग्रहण की कार्यवाही की वैधता को चुनौती दी मुकदमा - सिविल न्यायालय द्वारा डिक्री किया गया मुकदमा - डिक्री के खिलाफ राज्य द्वारा दायर अपील लंबित - पूंजीगत लाभ कर के भुगतान के लिए निर्धारिती के खिलाफ सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित मूल्यांकन आदेश - अपील में आयकर आयुक्त ने सक्षम प्राधिकारी को निर्देश दिया कि मूल्यांकन को अंतिम रूप न दिया जाए अधिग्रहण की कार्यवाही की वैधता को चुनौती देने वाली सिविल न्यायालय में लंबित कार्यवाही की - आयकर अधिकारी द्वारा मूल्यांकन कार्यवाही को अंतिम रूप देने के लिए निर्धारिती को नोटिस जारी करना - निर्धारिती को नोटिस के खिलाफ सिविल न्यायालय से निषेधाज्ञा प्राप्त करना - राजस्व ने आपत्ति जताई कि सिविल के अधिकार क्षेत्र के रूप में कोई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है धारा 293 के तहत न्यायालय द्वारा वर्जित - पूर्वोक्त आदेश - क्या क्षेत्राधिकार के बिना होने के कारण रद्द किया जा सकता है।

अभिनिर्णित, कि करदाता के मामले के गुण, जो राजस्व द्वारा गंभीर रूप से विवादित हैं, सिविल न्यायालय को कोई अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं कर सकते हैं या आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 293 द्वारा लाए गए क्षेत्राधिकार की बाधा को नहीं हटा सकते हैं। करदाता को अपनी सभी दलीलों को आयकर अधिनियम के तहत प्राधिकारियों के समक्ष उठाना होगा क्योंकि इसकी धारा 293 सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर रोक लगाती है और इस प्रकार सिविल न्यायालय का आदेश क्षेत्राधिकार के बिना होने के कारण रद्द किया जा सकता है।

(पैरा 7)

सी. पी. सी. की धारा 115 के तहत याचिका जो श्री धनी राम, एच. सी. एस., उप-न्यायाधीश, प्रथम श्रेणी, हिसार के न्यायालय के आदेश दिनांक 30 मई, 1986 जिस में अभिनिर्णित किया कि सिविल न्यायालय के पास मामले पर फैसला देने और प्रतिवादियों के खिलाफ मुद्दे का फैसला करने का अधिकार क्षेत्र है के पुनरीक्षण हेतु है।

अशोक भान, वरिष्ठ अधिवक्ता, के साथ अजय मित्तल, अधिवक्ता, याचिकाकर्ताओं के लिए।

ए. सी. जैन, वरिष्ठ अधिवक्ता, के साथ एस. के. विज, अधिवक्ता, उत्तरदाताओं के लिए।

निर्णय

न्यायमूर्ति आई. एस. तिवाना (मौखिक)

(1) यह याचिका उप-न्यायाधीश प्रथम श्रेणी, हिसार के 30 मई, 1986 के आदेश के खिलाफ निर्देशित है, जिसमें यह मानते हुए कि मामले में सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार था, इसने आयकर अधिकारी, हिसार को निषेधाज्ञा दे दी है कि "उक्त मुआवजे की राशि के संबंध में पूंजीगत लाभ के लिए वादी का मूल्यांकन न करें, हालांकि वह वादी की उक्त आय के संबंध में ऐसा कर सकता है, जिसका मुआवजे की उक्त बढ़ी हुई राशि से कोई सरोकार नहीं है"। इस याचिका में उठाए गए विवाद की सराहना करने के लिए, निम्नलिखित निर्विवाद तथ्य ध्यान देने योग्य हैं।

(2) प्रतिवादी-निर्धारिती की 192 कनाल और 2 मरला भूमि राज्य सरकार द्वारा धारा 4 के तहत प्रकाशित एक अधिसूचना के अनुसरण में अधिग्रहित की गई थी। 30 जनवरी, 1973 को भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894, और उक्त अधिनियम के धारा 11 के तहत पुरस्कार की घोषणा के बाद, उन्हें 5 अक्टूबर, 1973 को बेदखल कर दिया गया। मूल्यांकनकर्ताओं ने उस पुरस्कार के खिलाफ अधिनियम की धारा 18 के तहत एक संदर्भ की मांग की और उसी के परिणामस्वरूप, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, हिसार ने अपना फैसला दिनांक 23 जनवरी, 1979 को सुनाया जिस्म मुआवजे की राशि काफी हद तक बढ़ा दी गई। उत्तरदाताओं ने स्वीकार कर लिया है कि उन्होंने यह मुआवजा उस पर दिए गए ब्याज सहित प्राप्त कर लिया है। उनका दावा है कि उन्होंने इस पूरी राशि को राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बांड के रूप में निवेश किया है और यह, उनके रुख के अनुसार, उन्हें आयकर अधिनियम के तहत किसी भी पूंजीगत लाभ कर का भुगतान करने के दायित्व से मुक्त कर देता है। यह स्वीकार किया गया है कि प्रतिवादियों के साथ-साथ अधिग्रहण प्राधिकारियों ने अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ इस अदालत में अपील की है और वे अभी भी लंबित हैं। संक्षेप में, प्रतिवादी-निर्धारिती को दिए गए मुआवजे की निष्पक्षता का प्रश्न न्यायालय में विचाराधीन है।

(3) उपर्युक्त कार्यवाही के दौरान, उत्तरदाताओं ने संपूर्ण अधिग्रहण कार्यवाही को चुनौती देते हुए एक मुकदमा (संख्या 757-सी) दायर किया और उनके मुकदमे पर 7 मार्च, 1983 को वरिष्ठ उप-न्यायाधीश, हिसार द्वारा फैसला सुनाया गया। उस डिक्री के खिलाफ राज्य की अपील फिर से अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालत में लंबित है। दूसरे शब्दों में, अधिग्रहण की कार्यवाही की वैधता भी इस समय अदालत में विचाराधीन है।

(4) जबकि उपर्युक्त कार्यवाही वादी-प्रतिवादियों और राज्य सरकार के बीच चल रही थी, उत्तरदाताओं में से एक, यानी, सतिंदर कुमार (वादी संख्या 4) को पूंजीगत लाभ कर और अन्य के लिए, उनके द्वारा प्राप्त ब्याज की राशि का आकलन किया गया था। संबंधित वर्ष के दौरान उनकी आय पर भी कर लगाया गया था। वादी ने उक्त आकलन के खिलाफ आयकर आयुक्त (अपील), चंडीगढ़ के समक्ष अपील दायर की, जिन्होंने 7 मार्च, 1983 के वरिष्ठ उप-न्यायाधीश के ऊपर उल्लिखित फैसले के आलोक में उन आकलन को निर्देश के साथ अलग कर दिया कि सिविल न्यायालय में उक्त मुकदमे का निपटारा होने तक आयकर अधिकारी को मामले में अंतिम निर्णय नहीं लेना चाहिए।

(5) चूंकि आयकर अधिकारी, हिसार ने वादीगणों को मूल्यांकन वर्ष 1975-76 से 1981-82 के लिए अपना रिटर्न दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया, उन्होंने उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आरोप लगाते हुए वर्तमान मुकदमा दायर किया कि उक्त अधिकारी के पास इस मामले में कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था और उसे आयकर अधिनियम के तहत उनके खिलाफ आगे बढ़ने से रोका जाना चाहिए। वादी-प्रतिवादियों के इस रुख को राजस्व द्वारा कई दलीलों पर चुनौती दी गई है, जिसमें यह दलील भी शामिल है कि आयकर अधिनियम की धारा 293 के प्रावधानों के मद्देनजर इस मामले में सिविल न्यायालय का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। विचरण न्यायालय ने इस उत्तराद्ध-उल्लेखित मुद्दे को प्रारंभिक मुद्दे के रूप में आजमाने के लिए चुना है और, जैसा कि ऊपर बताया गया है, यह मानते हुए कि सिविल न्यायालय के पास अधिकार क्षेत्र है, उसने आयकर अधिकारी को इस निर्णय के शुरुआती भाग में बताए गए तरीके से निषेधाज्ञा दी है।

(6) श्रीमान अशोक भान, याचिकाकर्ता-अधिकारियों के विद्वक वरिष्ठ अधिवक्ता का तर्क है कि विचरण न्यायालय ने उपरोक्त निष्कर्ष को रिकार्ड करते हुए आयकर अधिनियम की धारा 293 के प्रावधानों को पूरी तरह से गलत समझा है। यह अनुभाग इस प्रकार पढ़ता है:

"293. सिविल न्यायालयों में मुकदमों पर रोक -

इस अधिनियम के तहत किए गए किसी भी मूल्यांकन आदेश को रद्द करने या संशोधित करने के लिए किसी भी सिविल में कोई मुकदमा नहीं लाया जाएगा, और अच्छे विश्वास में किए गए या किए जाने वाले किसी भी काम के लिए सरकार या सरकार के किसी भी

अधिकारी के खिलाफ कोई अभियोजन, मुकदमा या अन्य कार्यवाही नहीं की जाएगी। इस अधिनियम के तहत किया गया।"

विद्वक अधिवक्ता के अनुसार, इस धारा को पढ़ने से पता चलता है कि सिविल न्यायालय के पास किसी पूर्ण अधिनियम या अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा किए गए मूल्यांकन आदेश को रद्द करने या संशोधित करने या किसी मुकदमे पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है या इस अधिनियम के तहत किसी भी अधिकारी के खिलाफ सद्भावना से की गई या उसके द्वारा की जाने वाली किसी भी बात के लिए अन्य कार्यवाही। यद्यपि *सेठ हरीश चंद्र बनाम भारत का संघ* (1) और *श्री सुखदेव चंद, सहायक सीआईटी, अधिग्रहण रेंज बनाम श्री कश्मीर सिंह भुल्लर और अन्य* (2) इस अदालत के दो पूर्व निर्णयों से यह मामला विद्वक अधिवक्ता के पक्ष में समाप्त होता प्रतीत होता है (धारा 67 पहले मामले में संदर्भित आयकर अधिनियम का बाद के मामले में उल्लिखित धारा 293 के साथ समरूप है), फिर भी अपने कथन को स्पष्ट करने के लिए, वह *राजा बहादुर कामाख्या नारायण सिंह बनाम भारत का संघ और अन्य* (3) मामले में पटना उच्च न्यायालय की खण्ड न्यायपीठ के फैसले का संदर्भ देते हैं जिसमें यह देखा गया है (पृष्ठ 612 पर) कि अंतिम शब्द "या करने का इरादा है"; आयकर अधिनियम की धारा 293 में घटित होने वाला "स्पष्ट रूप से किसी कपटपूर्ण कार्य का उल्लेख नहीं कर सकता, क्योंकि एक कपटपूर्ण कार्य के संबंध में क्षति के लिए मुकदमा दायर किया जाना चाहिए किसी पिछले कार्य से संबंधित है न कि किसी अज्ञात भविष्य के कार्य से।" विद्वक अधिवक्ता के अनुसार, यह सुझाव देना या यह मानना हास्यास्पद और अतार्किक होगा कि एक बार मूल्यांकन पूरा हो जाने के बाद सिविल अदालत में उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है, लेकिन मूल्यांकन को पूरी तरह से रोकने के लिए ऐसी अदालत में कार्यवाही की जा सकती है। मैं विद्वक अधिवक्ता की इस प्रस्तुति में योग्यता देखता हूं। अन्यथा भी, जहां तक इस न्यायालय का संबंध है, मेरे विचार से यह मामला ऊपर उल्लिखित दो निर्णयों के आधार पर समाप्त हो गया है।

(7) श्री एन.सी. जैन, प्रतिवादी-करदाता के विद्वक वरिष्ठ अधिवक्ता के प्राथमिक प्रस्तुतिकरण द्वारा कहना है कि सिविल न्यायालय के निष्कर्षों के मद्देनजर कि पूरी अधिग्रहण कार्यवाही शून्य थी और प्रतिवादियों को देय मुआवजे की पर्याप्तता अभी भी अंतिम रूप से निर्धारित नहीं की गई है। आयकर अधिनियम के तहत आयकर अधिकारी द्वारा शुरू की जाने वाली कार्यवाही उत्पीड़न के अलावा और कुछ नहीं होगी, उनके अनुसार, उसके ग्राहकों द्वारा मुआवजे या ब्याज की प्राप्ति को उनकी अर्जित आय के रूप में नहीं माना जा सकता है। यह दलील, भले ही इसे तर्क के लिए कोई महत्व देना पड़े, मेरे विचार से, आयकर अधिनियम की धारा 293 के तहत वह एक अवधि के भीतर मूल्यांकन कार्यवाही को अंतिम रूप देने के लिए बाध्य है। करदाता के

(1) (1962) 46 I.T.R. 442.

(2) (1984)150 I.T.R. 578.

(3) (1964)51 I.T.R. 596.

लिए विद्वक अधिवक्ता जो दलीलें देना चाहते हैं, वे स्पष्ट रूप से मामले की खूबियों से संबंधित हैं, जिसके लिए उन्हें आयकर अधिनियम के तहत और उसमें उल्लिखित अधिकारियों के समक्ष उचित उपचार की तलाश करनी होगी। विद्वक अधिवक्ता का एकमात्र अन्य निवेदन यह है कि चूंकि आयकर आयुक्त (अपील) ने आयकर अधिकारी को निर्देश दिया था कि उत्तरदाताओं के खिलाफ आंकलन को अंतिम रूप देने तक आगे न बढ़ें या अंतिम रूप न दें, अधिग्रहण की कार्यवाही की वैधता के बारे में निर्णय के संबंध में, उनके द्वारा वर्तमान नोटिस जारी करना न केवल उस निर्देश का उल्लंघन है, बल्कि अधिकार क्षेत्र के बिना भी है। फिर, भले ही इस याचिका में कुछ योग्यता हो, इसे अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उठाया जाना चाहिए और यह स्वयं सिविल न्यायालय को आयकर अधिकारी की कार्रवाई की वैधता या वैधता में जाने के लिए कोई अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करता है। इसके अलावा सिविल न्यायालय के आक्षेपित आदेश से यह स्पष्ट है कि आयकर अधिकारी का रुख यह है कि अपीलीय आयुक्त का वह निर्देश केवल उन मूल्यांकन वर्षों से संबंधित है, जिनसे वर्तमान नोटिस संबंधित हैं। इसके अलावा आयकर अधिकारी का यह रुख है कि कानून (धारा 153) के तहत वह मूल्यांकन वर्ष के अंत से दो साल की अवधि के भीतर मूल्यांकन कार्यवाही को अंतिम रूप देने के लिए बाध्य है और इसके मद्देनजर, वह सिविल न्यायालय में उपरोक्त कार्यवाही को अंतिम रूप देने के लिए अनिश्चित काल तक इंतजार नहीं कर सकता था। वैसे भी, तथ्य यह है कि उत्तरदाताओं के मामलों की योग्यता, जो निश्चित रूप से याचिकाकर्ता अधिकारियों द्वारा गंभीर रूप से विवादित है, सिविल न्यायालय पर कोई क्षेत्राधिकार प्रदान नहीं कर सकती है या ऊपर उल्लिखित आयकर अधिनियम की धारा 293 द्वारा लाए गए क्षेत्राधिकार की बाधा को नहीं हटा सकती है।

(8) उपरोक्त चर्चा के आलोक में, इस याचिका को अनुज्ञात करते हुए, मैं विचरण न्यायालय के विवादित आदेश को रद्द करता हूँ और मानता हूँ कि सिविल न्यायालय के पास इस मामले में कोई क्षेत्राधिकार नहीं था। मैं लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दे रहा हूँ।

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त होगा।

रुहेला
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
करनाल, हरियाणा